Application Form for Allotment of Industrial Plots/Sheds in Industrial Areas/Estate of UPSIDC

उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० के औद्योगिक क्षेत्रों / अस्थानों में औद्योगिक भूखण्डों / निर्मित शेडों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र

- Note The applicant is required to read the terms and conditions on pages 5 to 10 carefully and to fill each columns and give specific information and thereby help the Corporation in speedy consideration of his application. Applications with incomplete information will unnecessarily delay their processing.
- नोट आवेदक से अनुरोध है कि वे कृपया पृष्ठ 5 से 10 पर वर्णित शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और प्रत्येक स्तम्भ को भरें एवं वांछित सूचना देकर आवेदन पर त्वरित विचार करने में निगम की सहायता करें। अपूर्ण सूचना वाले आवेदन पत्रों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होगा।

To,

The Managing Director, U.P. State Industrial Development Corporation Ltd. A-1/4, Lakhanpur, KANPUR - 208 024.

Dear Sir/प्रिय महोदय,

I apply for a plot/shed in Industrial Area/Estate of the Corporation. I am agreeable/not agreeable for a plot being allotted in any nearby Industrial Area. The details are given below:

मैं निगम के औद्योगिक क्षेत्र/आस्थान में भूखण्ड/निर्मित शेड के आवंटन हेतु आवेदन करता हूँ। यदि मुझे किसी अन्य निकटवर्ती औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड का आवंटन होगा तो वह मुझे स्वीकार होगा/स्वीकार नहीं होगा। विवरण नीचे दिया गया है :

1.		ticulars of the plot भूखण्ड का विवरण Name of the Industrial Area in which the plot is required औद्योगिक क्षेत्र का नाम जिसमें भूखण्ड वॉछित है	÷·
	(b)	Total Area of the plot वांछित भूखण्ड का क्षेत्रफल	1.
2.	orga	particulars of the applicant i.e. Individual/ anisation in whose name the plot/shed is uired to be allotted.	
		दक का पूर्ण विवरण यथा व्यक्ति/संगठन जिसके नाम ण्ड/निर्मित शेड का आवंटन वांछित है।	
	(a)	If an individual or a sole proprietorship firm, give father's name also.	
		यदि आवेदक व्यक्ति या एकल स्वामित्व वाली फर्म है, तो पिता का नाम भी लिखें।	
	(p)	If a partnership firm (give also the names and addresses of partners)	
		यदि आवेदक साझेदारी फर्म है तो साझीदारों के नाम और पते भी लिखें।	

	(c)	If the proprietor/partner/promoter belongs to scheduled caste/scheduled tribe, please specify details and attach the relevant certificate in support therof. यदि एकल स्वामी/साझीदार/प्रवर्तक अनुसूचित जाति/ जनजाति का हो, तो विवरण दें और पुष्टि में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करें।	
	(d)	If a Private Limited Company क्या आवेदक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है ?	
	(e)	If a Public Limited Company क्या आवेदक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी है ?	,
	(f)	If a Govt. Company or a Company in the Co-operative Sector क्या सरकारी कम्पनी है या सहकारी क्षेत्र की कम्पनी है ?	
3.	the	I name and address of the person signing application and his status/relationship with applicant	
		दन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम व और प्रस्थिति/आवेदक से उसका सम्बन्ध -	
	(a)	Name/नाम	
	(b)	Age/आयु	
	(c)	Present Address वर्तमान पता	
	(d)	Status/Relationship प्रस्थिति/आवेदक से सम्बन्ध	
	(e)	Telephone No./दूरभाष नं./Mobile No./मोबाइल नं.	
	(f)	E-Mail Address/ई. मेल पता	
4.	pro	pe of industry proposed to be set up (enclose ject report describing briefly the salient feases of the industry)	
		प्रकार के उद्योग को स्थापित करना प्रस्तावित है ?	
	`	तावित उद्योग की प्रमुख प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न करें)	
5.	(a)	Estimated cost of the project परियोजना की अनुमानित लागत	
	(b)	Estimated employment generation अनुमानित रोजगार सृजन	
6:	(a)	Proposed layout plan of land indicating broadly	•
		भूमि का प्रस्तावित तलपट मानचित्र जिसमें मोटी तौर से निम्नलिखित दिखाया गया हो -	
	(i)	Covered Area/ आच्छादित क्षेत्रफल	
	(ii)	Open area required and its purpose वाछित खुला क्षेत्रफल और उसका उद्देश्य	
NO	TE:	A copy of proposed layout plan must be attached.	

प्रस्तावित तलपट मानचित्र की प्रतिलिपि संलग्न करें।

7.		ails of the proposed investmen en on the following items :-	t may be		
	निम्नांकित मदों पर प्रस्तावित पूँजी विनियोजन का विवरण दें :-				
	(a)	Land/भूमि	•		
	(b)	Building/भवन		,,	у
	(c)	Machinery and equipment (also मशीनें तथा उपकरण (सूची संलग्न करें			
8.		l any fumes be generated in the nufacture and if so, their nature	•		
		उत्पादन प्रक्रिया में कोई गैस उत्पन्न होगी की प्रकृति और मात्रा बतायें।	? यदि हाँ, तो		
9.	Ind	ustrial effluents/ औद्योगिक उत्प्रवाह			
		Name नाम		Quantity मात्रा	Chemical Composition रासायनिक संरचना
	(i)	Liquid/द्रव			
	(ii)	Solid/होस			
	(iii)	Gaseous/वाष्पीय			
10.	Pro	posed Effluent Treatment meas	sures		<i>≯′</i>
	उत्प्र	वाहों के शोधन के प्रस्तावित तरीके			
					······································
11.		wer requirement (in KW) त शक्ति की आवश्यकता (किलोवाट)			
12.		ephone requirement फोन की आवश्यकता			
	Fire	st year/प्रथम वर्ष	***************************************		
		mate requirement आवश्यकता			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
13.		the applicant under priority egory? please specify clearly.		······································	
		आवेदक प्राथमिकता सूची में है ? यदि गो स्पष्ट उल्लखित करें।			
	̈́Sε	ee clause 16 of general condition	on)		

14. Amount and other details of the Bank Draft enclosed towards non-adjustable, non-refundable

Application Free and Earnest Money and cost of form as given in the annexed Table.

संलग्न तालिका के अनुसार न समायोजित किए जाने वाले आवेदन शुल्क फार्म की कीमत सहित धरोहर राशि के संलग्न बैंक ड्राफ्ट की कुल धनराशि, उसकी संख्या, तिथि और अन्य विवरण।			
Amount/धनराशि			
Bank Draft No./बैंक ड्राफ्ट संख्या			
Date/दिनांक			
Name of Bank/बैंक का नाम			
Payable at/कहाँ भुगतान मिलेगा			

The information given in the above application is true to the best of my knowledge and belief and the general conditions for allotment of plot/shed and grant of lease indicated, in this application form for allotment of plots/sheds in Industrial Area have been read carefully and understood by me and are fully acceptable to me. I further agree to abide by any and all changes made in the general conditions by the Corporation from time to time.

ऊपर आवेदन में दी गई सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार पूर्णतयः सत्य है। मैंने इस आवेदन पत्र में वर्णित औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्डों, शेडों, निर्मित शेडों के आवंटन सम्बन्धी सामान्य शर्तों को सावधानी से पढ़ा और समझा है जो मुझे पूर्णतयः स्वीकार है। साथ ही इन सामान्य शर्तों में निगम द्वारा समय-समय पर किए गए अन्य सभी परिर्वतन मुझे स्वीकार हैं जिनका मैं पालन करूँगा।

Date/दिनांक

GENERAL CONDITIONS FOR ALLOTMENT OF PLOTS/SHEDS AND GRANT OF LEASE

भूखण्डों / निर्मित शेंडों के आवंटन तथा पट्टा देने की सामान्य शर्तें

1. Every application for allotment of plot/shed should be made in duplicate alongwith brief Project Report, Proposed land Utilisation Plan, copy of Partnership Deed, Memorandum and Articles of Association and certificate of incorporation, List of Directors with addresses, List of Shareholders with No. of shares as applicable and bank drafts in favour of U. P. State Industrial Development Corpn. Ltd. towards application fee and earnest money as per details below:

For Very Fast/Fast moving Areas For Slow moving Areas

Cost of Application Form	Rs. 500/-	Rs. 100/-
Earnest Money (Industrial)	10% of total premium	5% of total premium
Application processing fee upto one acre	Rs. 2,000/-	Rs. 1,000/-
Application processing fee from one acre upto five acres	Rs. 5,000/-	Rs. 2,500/-
Application processing fee above five acer	Rs. 10,000/-	Rs. 5,000/-
For Constructed Shed	Rs. 1,000/-	Rs. 200/-

भूखण्डों / निर्मित शेड के प्रत्येक आवेदन पत्र दो प्रतियों में परियोजना प्रतिवेदन, प्रस्तावित भू उपयोग मानचित्र, साझेदारी विलेख, संस्था की नियमावली, अर्न्तिनयम तथा निगमन प्रमाणपत्र, अंशधारकों एवं निदेशकों की सूची, निदेशकों की सूची में पते तथा अंशधारकों की सूची में अंश पूंजी इंगित हो, जो भी संगत हों, निम्न विवरण अनुसार बयाना धनराशि / आवेदन शुल्क / ड्राफ्ट जो यू. पी. स्टेट इण्डिस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०, के पक्ष में देय हो, सिहत प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

		9
	अति तीव्र/तीव्र गति	मन्द गति
	औ० क्षे० हेतु	ं औ० क्षे० हेतु
आवंटन हेतु आवेदन फार्म	₹0500/-	रु० 100/-
धरोहर धनराशि	कुल मूल्य का 10%	कुल मूल्य का 5%
आवंटन प्रार्थनापत्र की प्रोसेसिंग फीस		•
एक एकड़ तक	रु० 2,000/-	रु० 1,000/-
एक एकड़ से पाँच एकड़ तक	रु० 5,000/-	रु० 2,500/-
पाँच एकड़ से अधिक	रु० 10,000/-	₹∞5,000/-
निर्मित शेडों हेतु	रु० 1,000/-	₹0 200/-

- 2. The plots are allotted in the Industrial Area on "as is where is" basis and leveling etc. if necessary is to be undertaken by the allottee himself at his own expenses. Arrangements for the discharge of industrial effluents have also to be made by the allottees themselves according to the laws in force and rules made thereunder from time to time.
 - औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड 'जैसा है जहाँ है' के आधार पर आवंटित किये जाते हैं और आवश्यकतानुसार समतल कराना आदि कार्य आवंटियों को अपने खर्च पर कराने होंगे। प्रचलित विधि तथा उसके अधीन समय-समय पर बनाये गये नियमों के अनुसार औद्योगिक उत्प्रवाह विर्सजन की व्यवस्था भी आवंटियों को स्वयं करनी होगी।
- 3. The Corporation does not normally provide facilities for housing in the Industrial Areas but subject to rules and bye-laws of local bodies, if any, 6% of the total plotted area or 10% of the covered area, whichever is less, in the plot at any time can be used for the residence of essential staff only, subject to the provisions of concerned authority.
 - सामान्यतः निगम औद्योगिक क्षेत्रों में आवासीय सुविधायें उपलब्ध नहीं कराता है, परन्तु स्थानीय निकायों के नियमों तथा उपनियमों के अर्न्तगत किसी समय भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल के 6% या आच्छादित क्षेत्रफल के 10% जो भी कम हो, पर अनिवार्य कार्मिकों के लिए सम्बन्धित प्राधिकरण के नियमों के अर्न्तगत आवास बनाए जा सकते हैं।
- 4. The Corporation reserves the right to make its own assessment of the requirement of land and is not bound to make allotment according to the demand made in the application. However, if the difference in the area allotted by the corporation and the area demanded is more than 20% the allottee may refuse the allotment without loss of Earnest Money if such refusal is communicated within the time allowed in the allotment letter to deposit the allotment money.
 - भूमि की आवश्यकता के आंकलन का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है और वह आवेदन पत्र में दी गई मांग के अनुसार आवंटन करने को बाध्य नहीं है। फिर भी, यदि माँगी गई भूमि और निगम द्वारा आवंटित भूमि में 20% से अधिक अन्तर हो

तो आवंटी आवंटन अस्वीकार कर सकता है और ऐसी दशा में उसे धरोहर राशि की हानि नहीं होगी बशर्ते कि आवंटन पत्र में आवंटन राशि के जमा करने की तिथि तक उक्त अस्वीकृति सूचित कर दी जाए।

- Plots in the Industrial Area will first be given on lease for 90 years.
 औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड 90 वर्ष पट्टे पर दिये जायेगें।
- 6. The applicant will have to abide by the terms and conditions of the allotment letter and the lease Deed and such other terms as are laid down by the corporation from time to time.
 - आवेदक को आवंटन पत्र तथा पट्टा विलेख की तथा निगम द्वारा समय-समय पर लगाई गई अन्य शर्तो का पालन करना होगा।
- 7. The allottee will be required to deposit the allotment money which would be 5% to 15% of the total premium of the allotted land, depending on the Industrial Area, after adjusting the Earnest Money, within the time period stipulated in the allotment letter. In the event of failure to deposit the allotment money, within the stipulated period the allotment shall stand automatically cancelled and the Earnest money shall stand forfeited to the Corporation. The allottee will be required to execute Lease Deed in the prescribed form. In case the allottee does not execute Lease Deed within 90 days the corporation will have the right to cancel the allotment and forfeit the deposits of the allottee as per clause 18 below. The fee for the execution of lease deed will be Rs. 1000/- per plot in very fast/fast moving industrial area & Rs. 500/- in slow moving industrial area.

आवंटी को आवंटन पत्र में दी हुई निर्धारित तिथि तक आवंटन धनराशि जो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आवंटित भूमि के कुल प्रीमियम के 5% से 15% तक होगी, धरोहर धनराशि के समायोजन के बाद जमा करनी होगी। निर्धारित तिथि तक आवंटन धनराशि जमा न किये जाने की दशा में आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा और धरोहर धनराशि निगम के पक्ष में जब्त हो जायेगी। आवंटी निर्धारित प्रपत्र पर पट्टा विलेख आवंटन के 90 दिनों में निष्पादित नहीं करेगा तो निगम को आवंटन निरस्त करने और नीचे प्रस्तर 18 के अनुसार आवंटी द्वारा जमा धनराशि जब्त करने के अधिकार होंगे। निष्पादन शुल्क रु० 1,000/- प्रति भूखण्ड अति तीव्र गित वाले औद्योगिक क्षेत्र में तथा रु० 500/- प्रति भूखण्ड धीमी गित औद्योगिक क्षेत्र में।

- 8. (a) The allottee shall take possession of the allotted land within three months of the date of allotment after execution of Lease Deed.
 - आवंटी को आवंटन के 3 महीने के भीतर पट्टा विलेख निष्पादित करके आवंटित भूमि का कब्जा ले लेना होगा।
 - (b) If the allottee fails to take over possession of the allotted plot within the period stipulated above the allotment shall stand automatically cancelled and the deposits forfeited as per clause 18 below unless extension in time is granted by the Managing Director of the corporation on the grounds of extra-ordinary circumstances beyond the control of the allottee, provided allottee's request in this regard is received well within the stipulated period.
 - यदि आवंटी निर्धारित अविध के भीतर आवंटित भूमि का कब्जा नहीं ले लेगा, तो आवंटन स्वतः निरंस्त हो जायेगा और नीचे प्रस्तर 18 के अनुसार जमा धनराशि जब्त हो जायेंगी जब तक कि निगम के प्रबन्ध निदेशक, आवंटी के नियन्त्रण के बाहर की असाधारण परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित अविध न बढ़ा दें, बशर्ते समय बढ़ाने हेतु अनुरोध निर्धारित समयाविध समाप्त होने से पहले प्राप्त हो गया हो।
- 9. Within the time period stipulated in Lease Deed, the allottee will have to commence the construction of factory building, complete the same by covering at least 30% of the area of the plot by roof/permanent shed as also instal machinery and plant, and start commercial production therein, failing which allotment of plot is liable to be cancelled with forfeiture of deposits as per clause 18 below. Extension of time shall be considered on merit upon application by allottee. Time extension fee shall be payable additionally.
 - पट्टा विलेख में निर्धारित समयाविध के भीतर आवंटी को भूखण्ड पर कारखाना-भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा, आवंटित क्षेत्रफल के कम से कम 30% को छत / स्थायी शेड से आच्छादित करते हुये निर्माण कार्य पूरा करके मशीनों और सयंत्र को लगाना होगा और इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्ररम्भ कर देना होगा अन्यथा आवंटन निरस्त्रीकरण योग्य होगा और तब नीचे प्रस्तर 18 के अनुसार जमा धनराशियाँ जब्त हो जायेंगी। अवंटी के अनुरोध पर समय विस्तारण गुण दोष के आधार पर निर्णीत किया जाएगा। निर्धारित समय विस्तारण शुल्क जमा करना होगा।
- 10. The allottee will pay use and occupation charges/lease rent of allotted land at the rate of Rs. 1.00/-per sq.mtr. per year during the first thirty years, Rs. 2.50/- per sq.mtr. per year during the next thirty years after expiry of the first thirty years and Rs.5.00/- per sq.mtr. per year during the next thirty years after expiry of first sixty years.
 - आवंटी पहले 30 वर्ष की अविध में 50 1.00/- प्रति वर्ग मीटर वार्षिक पहले 30 वर्षों की समाप्ति के बाद, अगले 30 वर्ष की अविध में 50 2.50/- प्रति वर्ग मीटर वार्षिक और 60 वर्षों की समाप्ति के बाद अगले 30 वर्षों की अविध में 50 5.0/- प्रति वर्ग मीटर वार्षिक की दर से आवंटित भूमि का उपयोग शुल्क/लीज रैन्ट अदा करेगा।

11. The transfer of plot(s) shall not be permitted except when approved under the existing policy of the corporation.

भूखण्डों का हस्तांतरण अनुमन्य नहीं होगा बशर्ते निगम की प्रचलित नीति में इसका प्राविधान किया गया हो।

12. The stamp duty, registration charges and legal expenses involved in the execution of Sale Deed, Lease Deed, etc. will have to be borne by the allottee.

आवंटी को विक्रय विलेख, पट्टा आदि के निष्पादन के सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क, निबन्धन शुल्क तथा विधिक व्यय का भार वहन करना होगा।

13. The interest at the prevailing rate which are subject to revision at any time without notice, is to be calculated on the total balance premium outstanding from time to time and is payable half yearly subject to rebate if the payments are made on or before the due dates and there are no arrears of Corporation dues. In the event of non-payment of dues, the allotment is liable to be cancelled with consequences stated in clause 18 below.

प्रचलित ब्याज दर जिसे पूर्व सूचना के बिना किसी समय भी पुनरीक्षित किया जा सकता है, के अनुसार समय-2 पर कुल शेष प्रीमियम पर हर छमाही ब्याज देय होगा जिसमें छूट अनुमन्य होगी बशर्ते नियत तिथि को या उसके पूर्व भुगतान कर दिया गया है और आवंटी पर निगम का कोई देय बकाया न हो। देयों की अदायगी न किए जाने की दशा में आवंटन निरस्त्रीकरण योग्य होगा जिसका प्रभाव नीचे प्रस्तर 18 के अनुसार होगा।

14. The total balance premium together with the stipulated interest will continue to be first charge on the allotted plot till fully paid.

कुल शेष भूमि प्रीमियम तथा उस पर निर्धारित दर से देय ब्याज तब तक भूखण्ड पर प्रथम प्रभार बने रहेंगे जब तक ये पूरे अदा नहीं हो जाते।

15. The date of the allotment letter will be the date of allotment of the plot.

आवंटन पत्र की तिथि ही भूखण्ड के आवंटन की तिथि होगी।

16. PRIORITY IN ALLOTMENT

आबंटन में प्राथमिकता की श्रेणी :-

i. Units to which term loan has been sanctioned by UPFC, PICUP, IDBI, IFCI, ICICI, IRBI/Banks or the case has been recommended by any of these financial institutions for allotment of plots on prority basis.

ऐसी इकाईयाँ जिन्हे यूपीएफसी, पिकप, आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईआरबीआई/बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत हो अथवा ऐसे प्रकरण जिनमें उपरोक्त वित्तीय संस्थानों द्वारा आंबटन में प्राथमिकता हेतु संस्तुति की गई हो।

ii. NRI desiring to set up the unit with foreign exchange.

विदेशी मुद्रा से अप्रवासी भारतीयों द्वारा लगाई जाने वाली इकाई।

iii. Joint Sector Projects being set up by the State/Central Government Undertakings.

राज्य/केन्द्र सरकार के सरकारी उपक्रमों द्वारा लगाए जाने वाले ज्वाइंट सेक्टर परियोजनाओं हेत्।

iv. Units requiring land for expansion in the same industrial areas.

एक ही औद्योगिक क्षेत्र में इकाई द्वारा अतिरिक्त भूमि की मांग।

v. Women Entrepreneurs.

महिला उद्यमी।

vi. Units running in non-conforming area and requiring land for shifting in industrial area with the same plant and machinery (Certificate from D.I. is required).

नान कानफर्मिंग क्षेत्रों से प्लांट एवं मशीन के साथ स्थानान्तरित होने वाली इकाई (उद्योग निदेशालय का प्रमाण पत्र आवश्यक)।

vii. 100% E.O.Us (Certificate from D.I. and Export Promotion Council is required).

100% निर्यातोन्मुख इकाई (उद्योग निदेशालय एवं निर्यात संवर्धन परिषद से प्रमाण पत्र आवश्यक)।

viii. Units for manufacture of Import Substitution item.

आयात वैकल्पिक उत्पाद (उत्पादन हेतू)।

ix. Ancillary Units: (Registration from D.I.).

सहायक इकाईयाँ।

x. Applicants desiring to shift their units from other states.

अन्य राज्यों से स्थानान्तरित होने वाली इकाईयाँ।

xi. Units being set up as fully owned by Engineering Graduates.

अभियंत्रण स्नातकों की पूर्ण स्वामित्व से स्थापित होने वाली इकाईयाँ।

xii. Applicant intending to set up high technology industries (Certificate from D.I. is required).

उच्च तकनीकी उद्योग को लगाने में इच्छुक इकाईयाँ (उद्योग निदेशालय से प्रमाणपत्र आवश्यक)।

xiii. Applicants who are ex-tenure holders/land owners of the same area.

औद्योगिक क्षेत्र की भूमि के पूर्ण भू-स्वामी/काश्तकार।

xiv. Units being set up by Star Category Industries.

स्टार कैटेगोरी इकाईयों द्वारा लगाए जा रहे उद्योग।

xv. Ex-servicemen/Schedule caste/Tribe & Handicapped entrepreneurs.

पूर्व-सैनिक/अनुसूचित जाति/जनजाति एवं विकलांग उद्यमी।

17. The payments made by the allottee/lessee shall be first adjusted towards the interest due if any then towards the premium due and then towards interest on maintenance charges and maintenance charge if any, and balance, if any, towards lease rent/use and occupation charges.

आवंटी /पट्टेदार द्वारा किये गये भूगतान की धनराशि का समायोजन सर्वप्रथम ब्याज की मद में यदि देय हो, तत्पश्चात भूमि प्रीमियम की मद में, यदि देय हो तथा तत्पश्चात रख रखाव शुल्क पर ब्याज तथा देय रख रखाव शुल्क और अविशिष्ट, यदि कुछ हो, लीज रेन्ट / उपयोग शुल्क की मद में किया जायेगा।

18. In the event of cancellation of allotment on account of any default on the part of the allottee, the following amounts will stand forfeited to UPSIDC.

यदि आवंटी की किसी त्रुटि के कारण आवंटन निरस्त हो जाता है, तो निम्नलिखित धनराशियाँ उ० प्र० राज्य औद्यागिक विकास निगम के पक्ष में जब्त हो जायेंगी।

(a) Interest calculated from the date of allotment till the date of cancellation on total balance premium from time to time without any rebate in interest whether or not payments were made by the due dates;

समय-समय पर शेष कुल भूमि प्रीमियम पर आवंटन की तिथि से निरस्त होने की तिथि तक ब्याज जिसमें कोई छूट नहीं मिलेगी, चाहे भुगतान निर्धारित तिथि तक ही क्यों न कर दिये गये हों;

And/और

(b) Use and Occupation Charges/Lease Rent, Maintenance levy / Service Charges are paid / outstanding interest thereon / other dues from the date of allotment upto the date of cancellation; आवंटन की तिथि से आवंटन निरस्त होने की तिथि तक उपयोग शुल्क / लीज रेन्ट, अनुरक्षण लेवी / सर्विस चार्जेस एवं इस पर भुगतान / अतिदेय ब्याज / अन्य देय

And/और

(c) In the case of constructed sheds allotted by UPSIDC Limited, 5% of the cost of the shed towards depreciation.

उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० द्वारा निर्मित एवं आवंटित शेडों की दशा में निर्मित शेड के कुल मूल्य का 5% मूल्य हास स्वरूप।

The balance of deposits, if any, after adjusting the amount aforesaid in sub-clauses (a) and (b) and also (c), if applicable, will be refundable. In case the total deposits of the allottee fall short of the total of the above deductions, the allottee is liable for payment of the balance which would be recoverable by the corporation from him.

ऊपर उप प्रस्तर (अ) तथा (ब) और यदि संगत हो तो, (स) के अनुसार धनराशियाँ समायोजित करने के बाद आवंटी द्वारा जमा धनराशियों में से जो भी शेष बचेगा वह उसे लौटाया जा सकेगा। यदि आवंटी द्वारा जमा कुल धनराशियाँ उपर्युक्त ढंग से काटी जाने वाली धनराशियों के योग से कम हुई तो इन दोनों के अन्तर को अदा करने का दायित्व आवंटी का होगा और जिसे यह निगम वसुल कर सकता है।

19. In the event of surrender of allotment, the following amounts will stand forfeited to U. P. State Industrial Development corporation Limited:

आवंटन के समर्पण की दशा में निम्नलिखित धनराशियाँ उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०, के पक्ष में जब्त हो जायेंगी :

(a) Interest calculated from the date of allotment till the date of surrender of allotment on the total balance premium from time to time allowing rebate as per the allotment letter whether the payments were made or not by the due dates;

समय-समय पर शेष कुल भूमि प्रीमियम पर आवंटन की तिथि से समर्पण की तिथि तक ब्याज जिसमें आबंटन पत्र के अनुसार छूट अनुमन्य होगी, चाहे भुगतान निर्धारित तिथियों के बाद ही क्यों न किए गए हों;

AND/तथा

(b) Use and Occupation charges/Lease Rent, Maintenance levy / Service Charges and paid / outstanding interest thereon / other dues from the date of allotment till the date of surrender; आवंटन की तिथि से समर्पण की तिथि तक उपयोग शुल्क/लीज रेन्ट, अनुरक्षण लेवी/सर्विस चार्जेस एवं उस पर भुगतान/अतिदेय ब्याज/अन्य देय

AND/तथा

(c) 5% cost of the shed towards depreciation in the case of sheds constructed and allotted by UPSIDC Ltd.

उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०, द्वारा निर्मित तथा आवंटित शेडों की दशा में निर्मित शेड के कुल मूल्य का 5% मूल्य हास स्वरूप।

The balance of deposits of the allottee, if any after adjusting the amounts aforesaid in sub-clause (a) and (b) and also (c), if aplicable, will be refundable. In case the total deposits of the allottee fall short of the total of the above deductions, the allottee is liable for payment of the balance which would be recoverable by the Corporation from him.

ऊपर उप प्रस्तर (अ) तथा (ब) और यदि संगत हो तो, (स) के अनुसार धनराशियाँ समायोजित करने के बाद, आवंटी द्वारा जमा धनराशियों में से जो भी शेष बचेगा वह उसे लौटाया जा सकेगा। यदि आवंटी द्वारा जमा कुल धनराशियाँ उपर्युक्त ढंग से काटी जाने वाली धनराशियों के योग से कम हुई तो इन दोनों के अन्तर को अदा करने का दायित्व आवंटी का होगा और जिसे निगम वसूल कर सकता है।

20. The premium for the allotted land will be chargeable at the rates which are in force on the date on which letter of allotment is issued and not at the rates in force on the date of application or of informal earmarking letter.

आवंटित भूमि का प्रीमियम उस दर पर देय होगा जो आवंटन-पत्र निर्गत करने की तिथि पर प्रभावी होगा न कि उन दरों पर जो आवंदन करने की तिथि या अनौपचारिक सुरक्षा पत्र निर्गत करने की तिथि पर प्रभावी रहे हों।

21. The allottee will have to make his own arrangements for discharge of effluents of his unit in accordance with the terms and conditions of the State Effluent Boards, U. P. Pollution Control Board/other Competent authority. The allotment will be liable to be cancelled if the effluent is obnoxious/hazardous to the others in vicinity. The allottee has also to obtain NOC from U. P. Pollution Control board.

आवँटी को अपनी इकाई के उत्प्रवाहों के विसर्जन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी जिसके लिए उसे प्रदेशीय उत्प्रवाह परिषद / उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण परिषद/अन्य सक्षम प्राधिकारी की शर्तें मान्य होंगी। यदि इकाई का उत्प्रवाह आसपास के लोगों के लिए अहितकर या खतरनाक हुआ, तो आवंटन निरस्त किया जा सकता है। आवंटी को उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण परिषद से अनापत्ति प्रमाणपत्र भी प्राप्त करना होगा।

22. The allottee shall also be liable to pay maintenance charges as per details below demand made by the Corporation.

For Very Fast moving Industrial Area

For Slow moving Industrial Area

a) For the years 2007 to 2011

@ Rs. 6/- per sq. mtr. per annum.

@ Rs. 1.50/- psq. p.a.

b) For the years 2012 to 2016

@ Rs. 8/- per sq. mtr. per annum.

@ Rs. 2.00/- psq. p.a.

Maintenance charges for subsequent years shall be decided by the corporation based on the Whole Sale Price Index prevailing in the previous year vis-a-vis average of the Whole Sale price Index in the 2015 & 2016 year and would be informed to the allottee. Incase of non-payment of maintenance charges as above, the allottee shall have to bear interest @ 15% p.a. The Corporation further reserves the right to cancel the allotment on Non-payment of maintenance charges.

अन्य देयों के अतिरिक्त आवंटी को निगम द्वारा मांगे गये रख-रखाव शुल्क का भी भूगतान करना होगा जो कि निम्नवत है :-

> अति तीव्र गति औ० क्षे० हेत

मंद गति औ० क्षे० हेत्

क. वर्ष 2007 से 2011 तक

रु० ६/- प्रति वर्ग मी० प्रति वर्ष रु० 1.50/- प्रति वर्ग मी० प्रति वर्ष

ख. वर्ष 2012 से 2016 तक

रु० ८/- प्रति वर्ग मी० प्रति वर्ष

रु० 2.00/- प्रति वर्ग मी० प्रति वर्ष

आगामी वर्षों के लिए रख-रखाव शुल्क वर्ष 2015 एवं वर्ष 2016 के थोक मूल्य सूचकांक के अनुपात के आधार पर निर्धारित किया जायेगा। रख-रखाव शुल्क का समय से भुगतान न करने पर 15% ब्याज देय होगा। रख-रखाव शुल्क का भुगतान न करने पर भुखण्ड का आवंटन निरस्त करने का अधिकार निगम के पक्ष में सुरक्षित है।

- 24. The allottee/lessee will mention in the postal address of his correspondence/letters invariable the name of "UPSIDC Industrial Area".
 - आवंटी / पट्टेदार अपने पत्राचार / पत्रों के अपने डाक पते में ''उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम का औद्योगिक क्षेत्र'' अनिवार्य रूप से लिखेंगे।
- 25. In employing labour for the unit, skilled, semi-skilled and unskilled, the allottee shall give preference to one or two able bodied persons from the families whose land has been acquired for the purpose of that Industrial area.
 - आवंटी अपनी इकाई में कुशल, अर्द्धकुशल कर्मचारियों की भर्ती में उन परिवारों के एक या दो शारीरिक रूप में समर्थ व्यक्तियों को वरीयता प्रदान करेगा, जिनकी भूमि उस औद्योगिक क्षेत्र में स्थापनार्थ अधिगृहीत की गई हो।
- 26. The allottee shall also be liable to pay maintenance/service etc. charges in addition to other dues as per the demand made by the Corporation.
 - अन्य देयों के अतिरिक्त आवंटी को निगम द्वारा मांगे गये रख-रखाव शुल्क/सेवा आदि शुल्क का भी भुगतान करना होगा।
- 27. The allottee shall have to seek power connection from the Captive power plant only if it is being put up by the Corporation in any Industrial Area. In that case he shall not be allowed to take power connection from any other agency.
 - यदि किसी औद्योगिक क्षेत्र में निगम द्वारा कैंप्टिव पावर प्लांट लगाया जाता है तो आवंटी को विद्युत कनेक्शन इसी प्लांट से लेना होगा और उन्हें किसी अन्य एजेन्सी से विद्युत कनेक्शन लेने की अनुमित नहीं दी जायेगी।
- 28. The allotment shall be automatically cancelled and deposits forfeited if any misrepresentation is found in the facts stated by entrepreneur in the application form or any time later in any future correspondence with the corporation.
 - यह पाये जाने पर कि उद्यमी ने आवेदन पत्र अथवा निगम के साथ किसी भी अन्य पत्राचार में गलत तथ्यों को प्रस्तुत किया है तो आबंटन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा एवं जमा समस्त धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
- NOTE: The terms & conditions stipulated above are not exhaustive and are only illustrative and are subject to change at any time without notice.
 - ऊपर बताई गई शर्तें केवल उदाहरण के लिए हैं और सम्पूर्ण नहीं हैं जिनमें सूचना दिए बिना ही किसी भी समय परिवर्तन किए जा सकते हैं।

Date/दिनांक

CHECK LIST

जाँच सूची

Please ensure whether the following documents have been enclosed with the application form (In duplicate) कृपया सुनिश्चित कर तें कि निम्नलिखित सभी अभिलेख दो प्रतियों में आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिए गए हैं)

જ્ય	मा सुनिश्चित कर ले कि निम्नीलेखित सभी आभलेखे दी प्रतियो में आवेदन पत्र के साथ सलग्न कर	१६५ गर ह)	
		Yes	No
1.	Bank Draft for Rs towards earnest money and application fee बयाना धनराशि और आवेदन शुल्क के लिए बैंक ड्राफ्ट		
2.	Copy of project profile संक्षिप्त परियोजना प्रतिवेदन की प्रति		
3.	Copy of the proposed land utilization plan प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र की प्रति		
4.	Copy of Partnership Deed/Memorandum and Articles of Association and Certificates of Incorporation. साझेदारी विलेख / संस्था की नियमावली व अन्तः नियम के साथ निगमन प्रमाण पत्र		
5.	Any other relevant document (please specify) कोई अन्य संगत अभिलेख (कृप्या स्पष्ट उल्लेख करें)		
	(a)		
	(b)	ş.	
	(c)		
	(d)		

Signature of the applicant आवेदक के हस्ताक्षर Checked and received जाँच की तथा प्राप्त किया

Signature & Date
हस्ताक्षर तथा दिनांक